# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

**(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)**

**अपील संख्या :–116/2016/भीलवाड़ा (2016/00074)**

1. यज्ञनारायण पुत्र बालूलाल, जाति शर्मा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बिजौलिया, तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा ।
2. चन्द्रभान पुत्र बालूलाल, जाति शर्मा, ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बिजौलिया, तह. बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा ।
3. हिमाचल पुत्र बालूलाल, जाति शर्मा ब्राहम्ण, नि0 ग्राम बिजौलिया, तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा ।

**अपीलांट्स**

**बनाम**

1. महावीर पुत्र बजरंग लाल, जाति शर्मा ब्राहम्ण, नि0 ग्राम बिजौलिया, तह0 बिजौलिया, जिला भीलावड़ा ।
2. सत्यनारायण पुत्र बजरंग लाल, जाति शर्मा, ब्राहम्ण, नि0 ग्राम बिजौलिया, तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा ।

**रेस्पोर्डेंट्स**

**अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा दिनांक 3.5.2005 नामांतकरण संख्या 830.**

**उपस्थितः–**

1. श्री वैभव कृष्ण पारीक, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री विरेन्द्रसिंह पंवार, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.

## निर्णय

**दिनांकः–11.1.2018**

अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार/नायब तहसीलदार, बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय ) द्धारा पारित नामांतकरण संख्या 830 दिनांक 3.5.2005 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार/नायब तहसीलदार, बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा ने दिनांक 3.5.2005 को नामांतकरण संख्या 830 रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में तस्दीक किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट्स के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने बिना किसी आधार व बिना किसी कारण के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में विवादित भूमि का नामांतकरण तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान किया है । विवादित भूमि की खातेदार काश्तकार मु0 घीसी थी, जिसके तीन पुत्र बालूलाल, बजरंगलाल व मदनलाल थे तथा बालूलाल के वारिस अपीलांट्स है । बजरंग लाल के वारिसान महावीर एवं सत्यनारायण है तथा मदनलाल अविवाहित फौत हुआ था इसलिये मदनलाल की सम्पति में अपीलांट्स का भी हक एवं अधिकार निहित है परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने मदनलाल की सम्पति का नामांतकरण बजरंग लाल के पुत्रों रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम वसीयत के आधार पर तस्दीक करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया तथा ना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी भी प्रकार की मौके की जांच ही की गई है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में वसीयत के आधार पर नामांतकरण तस्दीक किया है किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने वसीयत को वसीयत के साक्षियों से साबित नहीं किया था तथा अधी0न्याया0 द्वारा भी वसीयत की किसी भी प्रकार से कोई जांच नहीं की गई थी । विवादित भूमि पैतृक सम्पति है जिसकी वसीयत नहीं की जा सकती थी । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 3.5.2005 अपास्त किया जावे । xx

4- विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन नामांतकरण पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को किसी प्रकार का नोटिस प्रदान नहीं किया गया जिससे अपीलांट्स को अपीलाधीन नामांतकरण की जानकारी नहीं हो सकी थी । विवादित आराजियात में अपीलांट्स का भी हक व अधिकार है । अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक

23.8.2016 को पटवारी हल्का से हुई तब अपीलांट्स ने उसी दिनांक को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 24.8.20016 को नकल प्राप्त होने पर अपने अभिभाषक से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

**5-** विद्वान वकील रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 ने जवाब बहस में कथन किया कि अपीलांट्स ने नामांतकरण संख्या 830 दिनांक 3.5.2005 के विरूद्ध भारी मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है तथा विलंब के भी समुचित कारण अंकित नहीं किये है । विवादित भूमि के तीन खातेदार बालूलाल, बजरंग लाल एवं मदनलाल थे । अपीलांट्स बालूलाल के पुत्र है एवं रेस्पो0 बजरंगलाल के पुत्र है । विवादित भूमि का तीसरा खातेदार मदनलाल अविवाहित फौत हुआ था तथा मदनलाल ने अपने जीवनकाल में ही अपने हिस्से की आराजियात की पंजीकृत वसीयत रेस्पो0 के पक्ष में निष्पादित कर दी थी तथा पंजीकृत वसीयत को सक्षम न्यायालय से अपास्त कराये बिना अपीलांट्स किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट्स ने विवादित भूमि पैतृक नहीं है तथा पैतृक होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी अपीलांट्स ने पेश नहीं किये है । अभिभाषक रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा नामांतकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही धारा 135(1) में की जाने से प्रथम अपील न्यायालय हाजा के बजायजिला कलेक्टर को होनी चाहिये थी । अतः उक्त बिन्दू पर भी अपील अपास्त योग्य है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पंजीकृत वसीयत के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में नामांतकरण तस्दीक किया है जो विधिसम्मत् है । विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंटस ने अपने तर्को के संबंध में 2013 आर0आर0टी0 (2) पृष्ठ संख्या 841, 2002 आर0आर0डी0 पृष्ठ संख्या 409, 1989 आर0आर0डी0 पृष्ठ संख्य 266, 2004 (11) आर0बी0जे0 पृष्ठ संख्या 128, 2003 (1) आर0आर0टी0 पृष्ठ संख्या 27, 2005 (2) आर0आर0टी0 पृष्ठ संख्या 819, 2007 (14) आर0बी0जे0 पृष्ठ संख्या 438 के न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किये गये । अतः अपील अपीलांट्स अपास्त की जावे ।

**6-** हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट्स ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है। मियाद के बिन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट्स को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध नामांतकरण संख्या 830 दिनांक 3.5.2005 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तथाकथित नामांतकरण पटवारी हल्का ने वसीयत के आधार पर भरकर पेश किया जिस पर तहसीलदार/नायब तहसीलदार, बिजौलिया ने नामांतकरण संख्या 830 में यह नोट अंकित करते हुए कि '' नामांतकरण संख्या 830 दिनांक 3.5.2005 विरासत से मदनलाल के बजाय महावीर प्रसाद, सत्यनारायण पिता बजरंलाल ब्रहमण के नाम दर्ज करने की मंजूरी हुई'' स्वीकृत किया है । एक तरफ तो पटवारी हल्का ने पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामांतकरण भरकर पेश किया है जबकि दूसरी तरफ तहसीलदार ने नामांतकरण संख्या 830 विरासत के आधार पर मदनलाल के बजाय महावीर प्रसाद, सत्यनारायण पिता बजरंलाल ब्रहमण के नाम दर्ज स्वीकृत करने के आदेश पारित किये है जो परस्पर विरोधाभाषी है। अपीलांटस ने अपने अपील मीमों में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि रेस्पो0 ने वसीयत को वसीयत के साक्षियों से प्रमाणित नहीं कराया है तथा ना ही अधी0न्याया0 ने नामांतरकण तस्दीक करने से पूर्व मौके की जांच ही की है । अपीलांटस का यह भी कथन रहा है कि विवादित भूमि पैतृक सम्पति थी जिसकी वसीयत नहीं की जा सकती थी । यद्यपि अपीलांटस व रेस्पोडेंटस ने विवादित भूमि पैतृक अथवा स्वअर्जित होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है किन्तु हम विवादित भूमि के पैतृक होने अथवा स्वअर्जित होने के संबंध में जांच करवाया जाना उचित समझते है । अधी0न्याया0 के नामांतकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने तथाकथित नामांतकरण स्वीकृत करने से पूर्व मृतक खातेदार मदनलाल के समस्त विधिक वारिसान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है एवं ना ही मौके की जांच की है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधी0न्याया0 द्वारा तस्दीक नामांतकरण संख्या 830 दिनांक 3.5.2005 को विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य एवं अधी0न्याया0 द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 830 दिनांक 3.5.2005 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

**–ः<u>क्रियात्मक आदेश</u>ः–**

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 116/2016 (2016/00074) बउनवानी यज्ञनारायण बनाम महावीर प्रसाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार, बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 830 दिनांक 3.5.2005 को अपास्त किया जाकर प्रकरण निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अधी0न्याया0 इस तथ्य की जांच करे

कि विवादित भूमि पैतृक भूमि थी अथवा स्वअर्जित तथा पंजीकृत वसीयत के संबंध में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नामांतकरण की नियमानुसार कार्यवाही करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

**(के.के.शर्मा)**
**अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**

आदेश आज दिनांक 11.1.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(के.के.शर्मा)**
**अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**